प्रेस नोट दिनाँक-22.02.2023

(1). आज दिनांक 22.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(2). आज दिनाँक-22.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जगत नारायण उर्फ महतो पुत्र रूद्रप्रसाद निवासी चिटहरी पुरवा मजरा अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शऱाब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी सत्येन्द्र कुमार

(4). आज दिनाँक-22.02.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में यातायात निरीक्षक श्री मनोज कुमार एवं टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव के नेृत्तव में यातायात पुलिस द्वारा कर्वी शहर में 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरलोड सवारी, ओवरस्पीड, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की चेकिंग की गयी। टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव द्वारा वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेडफोन या मोबाइल फोन

का प्रयोग न करने के लिए बताया गया। चेकिंग के दौरान मालवाहक वाहन को भी चेक किया गया ट्रैक्टर चालकों को कृषि कार्य हेतु वाहन उपयोग किए जाने हेतु बताया गया । वाहन चालकों को 03 सवारी, ओवर स्पीड एवं बिना हेलमेट वाहन न चलाने हेतु बताया गया । वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने, हेमलेट/सीट बेल्ट लगाने एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु बताया गया ।

कल दिनाँक-21.02.2023 की रात्रि में यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की ब्रेथ एनलाइजर से चेकिंग गयी तथा वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु बताया गया । ट्रक चालकों को ओवरस्पीड वाहन न चलाने हेतु सख्त हिदायत दी गयी । वाहन चेकिंग के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस, 03 सवारी, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरस्पीड वाहनों का पेण्डिंग ई-चालान किया गया ।

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के आदेशानुसार एवं क्षेत्राधिकारी लाइन्स/नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0 श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी एएचटीयू श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा बालश्रम व बाल भिक्षावृत्ति एवं एक युद्ध नशे के विरुद्ध थाना कर्वी नगर क्षेत्र पहाड़ी रोड, इलाहाबाद रोड शंकर बाजार, ट्रैफिक चौराहा आदि स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान स्कूलों, कालेजों, कोचिंग क्लास के समीप दुकानों को चेक किया गया व हिदायत दी गई इन संस्थानों के समीप तंबाकू गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान युक्त पदार्थ ना बेचें व 100 गज की दूरी बनाए रखें । चेकिंग के दौरान दो दुकानदारों द्वारा बाल श्रम कराए जाने की सूचना पर उनके विरुद्ध बाल श्रम अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही किया गया । अभियान के दौरान दुकानदारों, जनता के व्यक्तियों को बताया गया कोई भी व्यक्ति बाल श्रम करते हुए या कराते हुए पकड़े जाने पर उसकी सूचना तत्काल थाना एएचटीयू के सीयूजी नंबर पर दें एवं स्कूलों व कॉलेजों में महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर एवं सरकार के आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया चेकिंग अभियान के दौरान बाल श्रम अधिकारी श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, प्रभारी थाना एएचटीयू श्री अजीत कुमार पांडेय एवं उप निरीक्षक देव नारायण तिवारी उपस्थित रहे ।